उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-6

अनर्हता

47- (1)कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि-

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो;

(ख) वह दिवालिया घोषित हो;

(ग) वह विकृत मन का हो;

(घ) उसे, आयोग की राय में नैतिक पतन से सम्बन्धित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसी दोष सिद्धि अपील में रद्द न की गयी हो;

(ङ) वह या आयोग की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो, जैसा सहकारी समिति द्वारा स्वयं किया जा रहा हो;

(च) वह अधिनियम या सहकारी समिति की उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल सहकारी समिति के साथ कोई व्यवहार या संविदा करे;

(छ) वह सहकारी समिति के अधीन या किसी अन्य सहकारी समिति जो ऐसी समिति से सम्बद्ध हो, के अधीन या कोई लाभ का पद स्वीकार करे या धारण करता हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, यह प्रतिबन्ध ऐसे उत्पादकों या कर्मकारों की समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनको राज्य सरकार ने अनुज्ञा दे दी हो कि वे अपनी उपविधियों में कर्मचारियों द्वारा सहकारी समिति के प्रबन्ध में भाग लेने की व्यवस्था कर सकते हैं;

(ज) वह सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि, इस खण्ड के उपबन्ध अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) एवं (8) के अन्तर्गत आने वाले वृत्तिक व्यक्तियों के सहयोजन पर लागू न होंगे;

(झ) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो, जब तक कि दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गयी हो;

(ञ) वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसके विरूद्ध किसी सहकारी समिति ने अधिनियम की धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो;

(ट) वह अपने द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सहकारी समिति का (कम से कम 6 मास की अवधि से) बाकीदार हो, या वह सहकारी समिति का अधि-निर्णीत ऋणी हो;

(ठ) वह एक ही समय में तीन सहकारी समितियों अर्थात् एक प्राथमिक एक केन्द्रीय और एक शीर्ष सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पहले से ही सदस्य हो, फिर भी वह तीन से अधिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए हकदार होगा। ऊपर विर्निदिष्ट तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी में उसके निर्वाचित होने की दशा में उसे एक माह के भीतर ऐसी समिति या समितियों की प्रबन्ध कमेटी से त्यागपत्र देना पड़ेगा ताकि वह तीन से अधिक समितियों की प्रबन्ध कमेटी का सदस्य न बना रह सके। यदि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर यह समझा जायेगा कि उसने एक शीर्ष सहकारी समिति और एक केन्द्रीय सहकारीसमिति और एक प्राथमिक सहकारी समिति, जिस पर वह बाद में निर्वाचित हुआ है, के सिवाय समस्त सहकारी समिति से त्यागपत्र दे दिया है;

(ड) वह राजकीय सेवा या किसी सहकारी समिति की सेवा या निगमित निकाय से कपट, दुराचरण या अशुचिता करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युति का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो;

(ढ) वह ऐसी किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो या उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो, जो निबन्धक द्वारा धारा 72 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस आधार पर समापित कर दी गयी हो कि सहकारी समिति का, निबन्धन कपटपूर्वक कराया गया था और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्क्रमित न किया गया हो;

(ण) वह अधिनियम या नियम या सहकारी समिति की उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो;

(त) यदि वह किसी गैर ऋण सहकारी समिति, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक का प्रतिनिधि है और वह सहकारी समिति 90 दिनों से अधिक की बकायेदार है;

(थ) यदि वह प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में केवल जमा करने के उद्देश्य से सदस्य बना हो और उसके द्वारा ऐसी समिति में जमा धनराशि एक हजार रूपये से कम हो गयी हो;

(द) आयोग की राय में किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण अथवा जानबूझ कर कोई कपटपूर्ण कृत्य अथवा कूट रचित अभिलेख के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया हो, जिसके प्रभाव में उसकी उम्मीदवारी एंव उसके परिणाम पर प्रभाव पड़ा हो;

(ध) यदि उसे किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय से दो वर्ष से अधिक का कारावास हुआ हो और जिसके विरूद्ध कोई स्थगनादेश प्राप्त न किया गया हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त न किया गया हो;

(2) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का कोई सदस्य, जो प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहे, प्रबन्ध कमेटी का सदस्य बने रहने का हकदार न होगा।

(3) उपनियम (2) के उपबन्ध किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी के नाम-निर्दिष्ट या पदेन सदस्य पर लागू नहीं होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए निर्वाचन लड़े किन्तु ऐसे निर्वाचन में हार जाय, आमेलन या नाम-निर्देशन द्वारा प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने के लिए पात्र न होगा।

(5) उपनियम (1) के अधीन निर्धारित अनर्हताएं निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगीः

(क) खण्ड ज में निर्धारित अनर्हताएं प्रबन्ध कमेटी के किसी नाम-निर्दिष्ट या पदेन सदस्य या प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सहयोजित सदस्य पर लागू न होंगी जिसके सहयोजन हेतु सहकारी समिति की उपविधियों के अधीन सामान्य निकाय की सदस्यता कोई शर्त नहीं थी;

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ड) में निर्धारित अनर्हता दोष सिद्धि के अधीन, अर्थदण्ड देने, या दोष सिद्ध होने पर दण्ड पा लेने के या पदच्युति के आदेश के बाद, जैसी भी स्थिति हो, 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् समाप्त हो जायेगी;

(ग) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में दी हुई अनर्हता किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी पर लागू न होगी, जिसको धारा 34 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में नामांकित किया गया हो;

(घ) कारागार के बन्दियों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए जेल में बनी सहकारी समितियांे की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध मंे नियम 47 के उपनियम (1) का उपखण्ड (क), (छ), (झ), (ङ) व (ध) लागू नहीं होंगे।

48- किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार अनर्ह हो जाय, प्रबन्ध कमेटी के सदस्य का पद धारण न किये रहे। ज्योंही यह तथ्य प्रबन्ध कमेटी की जानकारी में आये, कि कोई सदस्य किसी प्रकार अनर्ह हो गया है, चाहे वह ऐसे सदस्य होने के पूर्व या उसके पश्चात् अनर्ह

हुआ हो, कमेटी इस विषय पर एक बैठक में विचार करेगी, जो इस प्रयोजन के लिए बुलाई जायेगी। ऐसी बैठक की कार्यसूची की एक प्रति उस सदस्य को, जिसके विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव हो, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) दी जायेगी। यदि सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी अनर्हता के कारण कमेटी की सदस्यता से हटाने का संकल्प पारित हो जाय, तो ऐसे संकल्प की एक प्रति भी सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्री डाक द्वारा (प्राप्त अभिस्वीकृति) भेजी जायेगी और तदुपरान्त ऐसे सदस्य को किसी अन्य प्रकार से प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में प्रबन्ध कमेटी की किसी बैठक में कार्य करने या उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जायेगा। यदि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही से क्षुब्ध हो तो वह नोटिस प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अधीन पंचनिर्णय करा सकता है।

49- (1) यदि किसी सदस्य या सदस्यों की अनर्हता सम्बन्ध में संज्ञान में आने पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा यथानियत् कार्रवाई युक्ति संगत समय पर नहीं की जाती है, तो आयोग को यह अधिकार होगा कि अधिनियम की धारा 38 के अधीन ऐसे अनर्ह सदस्य या सदस्यों को प्रबन्ध समिति से निकाले जाने के लिए निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित कर सकता है।

(2) आयोग के ऐसे निर्देशन के पश्चात् निबन्धक अथवा प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि धारा-38 में विहित प्रक्रिया का पालन करने के लिए यथा आवश्यक कार्रवाई करेगा।